



प्रेस नोट - दिनांक 22.10.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 22.10.2024 को उ0नि0 लक्ष्मीनारायण मय हमराह पुलिस बल द्वारा एक अभियुक्त आरिफ पुत्र इलियास उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बमरियापुर माढ़ापुर थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव हाल पता बंधर फैक्ट्री एरिया थाना अचलगंज जिला उन्नाव को आकाश ढाबा के सामने ग्राम बन्धर से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0- 326/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आरिफ उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र इलियास निवासी बमरियापुर माढ़ापुर थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव हाल पता बंधर फैक्ट्री एरिया थाना अचलगंज जिला उन्नाव

बरामदगी का विवरण- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण
2. का0 ओमनारायण
3. का0 प्रवीण चौरसिया
4. का0 अनुराग
5. का0 संजय भाटी
6. का0 सचिन कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 22.10.2024

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव

आत्महत्या के दुष्प्रेरण का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.10.2023 को वादी श्री गुरुदयाल पुत्र छेदा निवासी ग्राम अरगूपुर थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव ने तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 07.10.2024 की रात करीब 09.00 बजे मेरे पुत्र नौमीलाल उम्र 40 वर्ष को शिवदयाल पुत्र छेदा, सुरेश, मुनेश पुत्रगण शिवदयाल ने मारा पीटा था। जिसमें मेरे पुत्र ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। दिनांक 09.10.2024 की रात करीब 10.30 बजे पुत्र नौमीलाल अपने घर से बाहर बंगले में सोने जा रहा था। तभी रास्ते में लिखाये गये मुकदमें में सुलह कराने के लिये नरेश, सुरेश, मुनेश पुत्र गण शिवदयाल, सुशीला पत्नी शिवदयाल, शिवदयाल पुत्र छेदा मिलकर दबाव बनाने लगे। जब नौमीलाल ने विरोध किया तो उक्त लोगों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जिससे क्षुब्ध होकर पुत्र नौमीलाल ने बंगले में जाकर गमछे से गले में फंदा डालकर अपनी जान दे दी। सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 275/2024 धारा 108,3(5) बीएनएस में 1.नरेश पुत्र शिवदयाल, 2. सुरेश पुत्र शिवदयाल, 3. मुनेश पुत्र शिवदयाल, 4. सुशीला पत्नी शिवदयाल, 5. शिवदयाल पुत्र छेदा निवासी गण ग्राम अरगूपुर थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 मोरमुकुट पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियोग की विवेचना व साक्ष्य संकलन के क्रम में अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण मुनेश, सुरेश, शिवदयाल व सुशीला उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 22.10.2024 को उ0नि0 मोरमुकुट पाण्डेय व हे0का0 भरत सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित एक शेष अभियुक्त नरेश पुत्र शिवदयाल उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम अरगूपुर थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नरेश पुत्र शिवदयाल उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम अरगूपुर थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 मोरमुकुट पाण्डेय

हे0का भरत सिंह





प्रेस नोट - दिनांक 22.10.2024

थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव

अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा एक शातिर अपराधी को एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.09.2024 को वादी प्रदीप बाला पुत्र वीरेन्द्र बाला हाल पता पतौली रोड थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव द्वारा अपने घर में चोरी होने के सन्दर्भ में थाना फतेहपुर चौरासी पर तहरीरी सूचना दी गई थी प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 262/2024 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 22.10.2024 को उ0नि0 रविशंकर मिश्रा मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त कलाम उर्फ बलल्ला पुत्र कल्लू निवासी ग्राम सैंता थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी किये गये 4,500 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कलाम उर्फ बलल्ला पुत्र कल्लू निवासी ग्राम सैंता थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 215/18 धारा 3/5/8 गोवध निवा0/अधि0 थाना एफ 84 , उन्नाव
2. मु0अ0सं0 87/20 धारा 3/5ख/8 गोवध निवा0 थाना बेहटा मुजावर , उन्नाव
3. मु0अ0सं0 169/20 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहटा मुजावर , उन्नाव
4. मु0अ0सं0 34/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहटा मुजवार , उन्नाव
5. मु0अ0सं0 23/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एफ 84 , उन्नाव
6. मु0अ0सं0 73/22 धारा 3/5/8 गोवध निवा0/अधि0 थाना एफ 84 , उन्नाव
7. मु0अ0सं0 190/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना एफ 84 , उन्नाव

8.मु0अ0सं0 304/22 धारा 379 भादवि व धारा 3/5/8 गोवध निवा0/अधि0 थाना आसीवन ,उन्नाव

9.मु0अ0सं0 107/23 धारा 2/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना आसीवन , उन्नाव

10.मु0अ0सं0 262/24 धारा 305/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एफ 84, उन्नाव

बरामदगी का विवरण- एक अदद अवैध तंमचा 315 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर, 4500 रूपये नगद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 रविशंकर मिश्रा

का0 दीवांश यादव

का0 विष्णुदयाल





प्रेस नोट - दिनांक 22.10.2024

थाना माखी, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना माखी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.08.2024 को थाना माखी पर मु0अ0सं0 270/24 धारा-137(2)/87बीएनएस बनाम राजा बाबू पुत्र तूफानी चौहान निवासी ग्राम मोहददीपुर मोहददीनपुर जिला शिवान राज्य बिहार उम्र 20 वर्ष पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। आज दिनांक 22.10.2024 को उ0नि0 श्री राम प्रताप सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजा बाबू पुत्र तूफानी चौहान निवासी ग्राम मोहददीपुर मोहददीनपुर जिला शिवान राज्य बिहार उम्र 20 वर्ष को को दोस्तीनगर नगर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजा बाबू पुत्र तूफानी चौहान निवासी ग्राम मोहददीपुर मोहददीनपुर जिला शिवान राज्य बिहार उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री रामप्रताप सिंह

का0 ध्रुवचन्द्र





प्रेस नोट - दिनांक 22.10.2024

जनपद उन्नाव

दो वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस एवं थाना हसनगंज पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

थाना अजगैन- आज दिनांक 22.10.2024 को थाना अजगैन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शंकर पुत्र छोटेलाल निवासी लखनापुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 65 वर्ष संबन्धित वाद सं0 1606/24 अ0सं0 510/21 धारा 138B ई0सी0 एक्ट थाना एण्टी पावर थैप्ट यूनिट जनपद उन्नाव को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।

थाना हसनगंज - आज दिनांक 22.10.2024 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामू पत्थरकट पुत्र स्व0 बाबू नि0 शाहपुर तोंदा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 49 वर्ष संबन्धित वाद सं0 638/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।

